रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date 16 JAN GOVT.

सं० 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1965/पौष 2, 1887
No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1965/PAUSA 2, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd December 1965

No. 1/11/65-Ad. C.—The term of the present Export-Import Advisory Council set up for two years under the the late Ministry of International Trade Resolution No. 1/6/63-Ad. C., dated the 3rd February 1964 is expiring on the 31st December, 1965. The Government of India have now decided to reconstitute the Council with the following composition:—

I. (i) *Chairman.*—Minister of Commerce.

(ii) *Vice Chairman.*—Deputy Minister of Commerce.

(iii) *Four Ex-officio members*:—

(a) President of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, or his nominee;

(b) President of the Associated Chambers of Commerce of India, or his nominee;

(c) Chairman, All India Manufacturers' Organisation, or his nominee; and

(d) President of the Federation of Indian Export Organisations, or his nominee.

(iv) Thirty five members to be nominated by the Government of India as under:—

(a) Five members from the Board of Trade;

(b) Fifteen representatives of Established Importers, Actual Users and other Organisations of Importers; and

(c) Fifteen representatives of Export Promotion Councils, Commodity Boards and other Organisations of Exporters.

(v) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce.

(vi) Secretaries to the Government of India, Ministry of Industry and Supply, (a) Department of Industry and (b) Department of Supply and Technical Development.

(vii) Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum and Chemicals.

(viii) Secretaries to the Government of India, Ministry of Steel and Mines (a) Department of Iron and Steel and (b) Department of Mines and Metals.

(ix) Secretary to the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, Department of Agriculture.

(x) Secretaries to the Government of India, Ministry of Defence (a) Department of Defence Production and (b) Department of Defence Supplies.

(xi) Chief Controller of Imports and Exports—Member Secretary.

II. The Chairman may also (a) invite any person or persons specially to represent trade or allied interests to attend the meetings of the Council, and (b) constitute Committees or Sub-Committees of the Council to advise Government on specific problems relating to Imports/Exports and distribution of goods and associate with them additional members as may be necessary, representing industry, trade, and consumers.

III. The functions of the reconstituted Council will continue to be the same as those of the outgoing Council which are reproduced below:

(1) To advise on policies and programmes of Foreign Trade in the context of the development of World Trade;

(2) To make suggestions on:

(i) import policy and licensing procedure;

(ii) import rationalisation and import substitution;

(iii) export promotion and export policy *inter alia* including discussions on:

(a) problems arising out of the various Export Promotion Schemes, and measures to remedy impediments to export promotion;

(b) ways and means to promote export of Indian goods by diversification of trade, exploration of new markets, quality control, exhibitions abroad, establishment of export houses agencies and the like.

(3) To forge closer relationship between Import and Export Trade; and

(4) To discuss the difficulties of the trade, manufacturers and consumers as a result of the operation of Import and Export Control and suggestions for any improvement in policy and procedure consistent with the objectives of these restrictions.

IV. The revised Council is reconstituted for a term of two years with effect from 1st January, 1966.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

P. SABANAYAGAM,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23, दिसम्बर, 1965

सं० 1/11/65—एड० को०.—भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय की संकल्प सं० 1/6/63-एड० को० दिनांक 3 फरवरी 1964 के अन्तर्गत दो वर्ष के लिये बनाई गई वर्तमान निर्यात आयात सलाहकार परिषद की अवधि 31 दिसम्बर, 1965 से समाप्त हो रही है । भारत सरकार ने अब परिषद् के पुनः संघटन करने का निश्चय किया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

1. (1) अध्यक्ष—वाणिज्य मंत्री

(2) उपाध्यक्ष—वाणिज्य उप-मंत्री

(3) चार पदेन सदस्य :—

(क) वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय चैम्बर संघ के सभापति, अथवा उनका नामित ;

(ख) एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स आफ इंडिया के अध्यक्ष अथवा उनका नामित :

(ग) अखिल भारतीय निर्माता संगठन के अध्यक्ष, अथवा उनका नामित ; और

(घ) भारतीय निर्यात संगठन संघ के अध्यक्ष, अथवा उनका नामित ।

(4) भारत सरकार के 35 सदस्य जो निम्नलिखित रूप से नामित किये जायेंगे :—

(क) व्यापार बोर्ड से 5 सदस्य ;

(ख) पुराने आयातकों, वास्तविक उपभोक्ताओं तथा आयातकों के अन्य संगठनों के 15 प्रतिनिधि ; और

(ग) निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा आयातकों के अन्य संगठनों के 15 प्रतिनिधि ।

(5) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ।

(6) भारत सरकार, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय, (1) उद्योग विभाग और (2) सम्भरण तथा तकनीकी विकास विभाग के सचिव ।

(7) भारत सरकार के पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के सचिव ।

(8) भारत सरकार के इस्पात तथा खान मंत्रालय, (1) लौह तथा इस्पात विभाग और (2) खान तथा धातु विभाग के सचिव ।

(9) भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग के सचिव ।

(10) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (1) रक्षा उत्पादन विभाग और (2) रक्षा सम्भरण विभाग के सचिव ।

(11) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक—सदस्य सचिव ।

2. अध्यक्ष (1) परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के लिये विशेष रूप से व्यापार अथवा सम्बद्ध हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है, और (2) सरकार को आयात तथा निर्यात संबंधी विशेष समस्याओं पर सलाह देने के लिये परिषद् की समितियों अथवा उप-समितियों का गठन कर सकता है और उनमें माल का वितरण और उद्योग, व्यापार तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सदस्यों को भी आवश्यकतानुसार रख सकता है ।

3. पुनर्गठित परिषद् के कार्य समाप्त होने वाली परिषद् के कार्यों जैसे ही रहेंगे जोकि नीचे पुनः दिये जाते हैं :—

(क) विश्व व्यापार के विकास के संदर्भ में विदेशी व्यापार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना ;

(ख) निम्न के बारे में सुझाव देना ;

(1) आयात नीति तथा लाइसेंस जारी करने की विधि ;

(2) युक्तिसंगत आयात तथा प्रतिस्थापित आयात ;

(3) निर्यात संवर्द्धन तथा निर्यात नीति के साथ अन्य विषय जिनमें निम्न वस्तुएं सम्मिलित हैं :—

(1) विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और निर्यात संवर्द्धन की अड़चनें दूर करने के उपाय ;

(2) व्यापार में विविधता लाकर, नए बाजारों की खोज, किस्म नियंत्रण विदेशों में प्रदर्शनियां, निर्यात गृहों / अभिकरणों की स्थापना करके और इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा भारतीय माल के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय और साधन ।

(ग) आयात तथा निर्यात व्यापार के बीच निकटतम संबंध बनाना ; और

(घ) आयात तथा निर्यात नियंत्रण के परिणाम स्वरूप निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं का व्यापार संबंधी कठिनाइयों पर विवेचन करना और इन प्रतिबंधों के उद्देश्यों से संगति रखने वाली नीति तथा कार्यविधि में कोई सुधार करने के लिये सुझाव देना ।

4. 1 जनवरी 1966 से दो वर्ष की अवधि के लिये संशोधित परिषद् का पुनर्गठन किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिये भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० सभानायगम,
आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965